यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चकराता, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चकराता, देहरादून के माह 06/2019 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री मनीष श्रीवास्तव,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीएवं श्री सत्यबीर सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), द्वारा दिनांक 25/11/2020 से 05/12/2020 तक श्री बी. सी. मुखर्जी,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस खंड की पूर्व लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री मनोज सिसोदिया,पर्यवेक्षक एवं श्री गौरव रावत,लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक **28.06.2019 से 05.07.2019** तक श्री जगमोहन सिंह रावत,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई एवं लेखापरीक्षा में माह **05/2018से 05/2019**तक के लेखों की लेखापरीक्षा संपादित की गई थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनपद देहरादूनके चकराता विधान सभा क्षेत्र में सड़क एव सेतु के नव निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)		बचत/समर्पण (-)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2018-19	-	-			3407.34	3407.34	-	-		
2019-20	-	-			1838.8	1797.3	-	-		41.49
2020-21 (10/2020 तक)	-	-			880.58	740.15				

टिप्पणी:IFMS लागू होने के पश्चात स्थापना में बजट जारी नहीं किया जाता।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य(+)**	**बचत(-)**
2018-19		शून्य				
2019-20						
2020-21 **(10/2020 तक)**						

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए **इकाई "A" श्रेणी** की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, लोक निर्माण
2. प्रमुख अभियंता, एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता
6. सहायक अभियंता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह**03/2020** को विस्तृत जांच हेतु एवं **त्यूनी में राजकीय महाविधालय के अकादमिक, प्रशासनिक एवं multipurpose हाल** को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में खंड का **निरीक्षण** नहीं किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **09/2019** तथा **09/2019** तक की गई।

5. फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 87242.00

भाग द्वितीय ` 616583.50

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2020 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण अग्रिम	` 8148191.00
(ख)	सामग्री क्रय	` शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	` शून्य
(घ)	निक्षेप	` 49.15 lakh
(ङ)	भण्डार	` 169870.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर:1 बिना traffic density आंकलित किये एवं बिना मोटर मार्ग का डिज़ाइन का निर्धारण किये PC एवं Seal coat के स्थान पर महंगे कार्यमद से कार्य निष्पादित किये जाने से ₹ 313.04 लाख का परिहार्य व्यय।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग (लो0नि0वि0) उत्तराखण्ड द्वारा अगस्त 2014 को मार्गों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किया गया था जिसके अनुसार MDR/ODR/VR हेतु मार्गों का नवीनीकरण OGPC एवं Seal coat से किया जाय एवं मार्गों का सुदृढ़ीकरण का कार्य IRC:81-1997 (Guidelines for Strengthening of Flexible Road Pavements using Benkelman Beam Deflection Technique) के अनुसार अथवा FallingWeight Deflectometer तकनीक से Overlay Design के आधार पर ही किया जाएगा। समान्यतः लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा अनुसार यदि किसी मार्ग की सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है तो ऐसी अवस्था में मार्ग की traffic density एवं CBRके आधार पर IRC 37 के Plate/Table के अनुसार मार्ग का डिज़ाइन निर्धारित कर कार्य निष्पादित किया जाता है।

मा0मु0मंत्री जी की घो0सं0-196/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में गौराघाटी-मानथात से होते हुये ग्राम लावड़ी तक मोटर मार्ग का हॉटमिक्स कार्य हेतु शासन द्वारा दिनांक 24 मार्च 2015 को ` 1098.53 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को उतनी ही धनराशि की प्रदान की गयी। उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु ` 1058.63लाख की अधीक्षण अभियन्ता स्तर का एक अनुबंध (52/S.E.-9/2015-16 दिनांक 10.03.2016) गठित किया गया, अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.03.2016 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 09.03.2017थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0 चकराता, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग,अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 सहिया से इस खण्ड को हस्तांतरित हुआ था एवं हस्तांतरण के समय उपरोक्त मोटर मार्ग का सतह पी0सी0 था। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने एवं कार्य निष्पादन के समय उपरोक्त मोटर मार्ग Village Road की श्रेणी में था। उपरोक्त कार्य के विस्तृत आगणन में संलग्न विस्तृत आगणन की जाँच का प्रपत्र के बिन्दु संख्या 5 डिज़ाइन के अंतर्गत यह उल्लेखित है कि पुनः निर्माण के कार्यों में क्रस्ट डिज़ाइन हेतु सी0बी0आर0 टेस्ट के वास्तविक परिणाम आगणन में संलग्न किये जाये तदनुसार क्रस्ट का प्राविधान किया जाये। traffic densityका आंकलन किये

जाने एवं CBR तथा MSA के आधार पर IRC 37 के Plate/Table के अनुसार मार्ग का डिज़ाइन निर्धारित किये जाने संबंधी कोई अभिलेख पत्रावली/ आगणन में उपलब्ध नहीं पाई गई। यही नहीं वर्तमान में भी यह मार्ग Village Roadकी श्रेणी मेंहै अर्थात डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 से मार्ग का सुदृढ़ीकरण करने के पश्चात भी traffic density में वृद्धि/ मार्ग की श्रेणी में बदलाव नहीं हुआ। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग का सुधारिकरण कार्य की आवश्यकता थी न कि डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 से सुदृढ़ीकरण की एवं तदनुसार उपरोक्त कार्य का निष्पादन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के अनुसार OGPCएवं Seal coat से किया जाना चाहिए था। परंतु खण्ड द्वारा बिना traffic density का आंकलन किये एवं CBR तथा MSA के आधार पर बिना मार्ग का डिज़ाइन निर्धारित किये उपरोक्त कार्य का निष्पादन डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 से किया गया, जिससे कार्य पर ` 313.04 लाख का परिहार्य व्यय हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(A) Expenditure incurred on execution of work by DBM & BC			
Item of work	**Quantity**	**rate**	**Amount**
Tack coat	102892.20	9.50	977475.90
DBM	2617.86	10200.00	26702172.00
BC	1506.99	11600.00	17481084.00
		Total(A)	**45160731.90**
(B) Cost of execution of work by PC & seal coat			
Tack coat (13700 x 3.75 x 1.10)	56512.50	9.50	536868.75
PC (97082)	56512.50	162.00	9155025.00
Seal coat (97113)	56512.50	73.70	4164971.25
		Total(B)	**13856865.00**
Difference between cost of execution of work by PC/ seal coat and DBM/ BC(A-B)			**31303866.90**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त आगणन में तत्समय traffic density संलग्न नहीं की गयी थी तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यों का निष्पादन किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून में गौराघाटी-मानथात लावड़ी तक मोटर मार्ग का हॉटमिक्स कार्य के अन्तर्गत डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 का आगणन गठित कर शासन को प्रेषित किया गया। शासन से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर-1/ सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी एवं प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के प्रावधान के अनुसार कार्यस्थल पर कार्य निष्पादित कराया गया।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह अभियांत्रिकी विभाग का दायित्व है कि वह मार्ग के श्रेणी, traffic density एवं CBR के आधार पर IRC specification में प्रावधान किए गए डिज़ाइन के अनुसार मार्ग का डिज़ाइन का निर्धारण करे एवं तदनुसार कार्य का निष्पादन करे। उपरोक्त मार्ग निष्पादन से पूर्व ग्रामीण मार्ग था एवं मार्ग का सतह पी0सी0 था, एवं जो कि DBMएवं BCसे सुदृढ़ीकरण किए जाने के पश्चात भी वर्तमान तक ग्रामीण मार्ग ही है। चूंकि कार्य निष्पादन से पूर्व मार्ग की श्रेणी मे कोई बदलाव नहीं हुआ था अतः यह सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं था बल्कि सुधारीकरण का कार्य था। अतः खण्ड का यह दायित्व था कि IRC specification एवं प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के दिशा-निर्देश के अनुसार मार्ग का सुधारिकरण PC एवं Seal coat से किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाना चाहिए था।

इस प्रकार खण्ड द्वारा एक ग्रामीण मार्ग पर, जिसके मार्ग की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं हुआ, बिना traffic density आंकलित किये एवं traffic density एवं CBR के आधार पर बिना मोटर मार्ग का डिज़ाइन का निर्धारण किये, PC एवं Seal coat के स्थान पर महंगे कार्यमद से कार्य निष्पादित कर ` 313.04 लाख का परिहार्य व्यय किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर1: अपूर्ण निर्माण कार्य पर ` 74.09 लाख के अनियमित भुगतान के साथ साथ लंबित वसूली ` 12.48 लाख।

निक्षेप कार्य के अंतर्गत त्युनी मे राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्यकी मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2013 मे ` 493.76 लाख की प्राप्त हुई थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति उक्त राशि हेतु तीन चरणों क्रमशः फरवरी 2014 मे ` 135.04 लाख, अक्टूबर 2014 मे ` 135.04 लाख को सम्मिलित करते हुए ` 308.29 लाख, दिसम्बर 2016 मे ` 308.29 लाख को सम्मिलित करते हुए ` 493.36 लाख एवं जुलाई 2019 मे ` 493.36 लाख को सम्मिलित करते हुए ` 638.25 की प्राप्त हुई थी। प्राप्त ` 493.36 लाख की स्वीकृति मे स्थल विकास, प्रशासनिक भवन तथा कैंटीन एवं बहूउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाना था एवं आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु ` 72.96 लाख का प्रावधान किया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग चकराता मे कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया कि कार्य हेतु हेतु अनुबंध संख्या 49/एस ई ई/2013-14 दिनांक 03.04.14 को लागत ` 127.84 लाख का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य सितम्बर 2015 मे पूर्ण किया जाना था। कार्य से संबन्धित अभिलेखो के अनुसार अनुबंधित धनराशि के सापेक्ष ` 440.49 लाख का विचलन एवं ` 153.03 लाख के अतिरिक्त मद की स्वीकृति के उपरांत कार्य पर ठेकेदार को कुल भुगतान ` 579.72 लाख किया गया था। कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया ठेकेदार को अतिरिक्त मद हेतु ` 227.12 लाख का भुगतान किया गया था जबकि अतिरिक्त मद हेतु स्वीकृति मात्र ` 153.03 लाख (73.97 लाख +25.88 लाख +53.18 लाख) की ही प्राप्त की गयी थी। आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उपरोक्त कार्य समस्त स्वीकृतियाँ जुलाई 2019 मे प्राप्त होने के उपरांत भी कार्य संप्रेक्षा अवधि तक अपूर्ण था एवं ठेकेदार को प्रदान अग्रिम ` 12.48 लाख की वसूली लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि अतिरिक्त मद हेतु ` 74.09 लाख की स्वीकृति विचलन द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा ` 440.49 लाख मे सम्मिलित है तथा अग्रिम भुगतान की लंबित वसूली ठेकेदार के अंतिम देयक से वसूल की जाएगी तथा ठेकदार को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु खंडीय स्तर से लगातार पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योकि खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखो के अनुसारअतिरिक्त मद हेतु भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति मात्र ` 153.03 लाख (73.97 लाख +25.88 लाख +53.18 लाख) की ही प्राप्त की गयी थी एवं कार्य के त्वरित निष्पादन न कराये जाने एवं ठेकेदार के निधन के उपरांत भुगतानित धनराशि के नियमतिकरण एवं वसूली लंबित थी।

अतः अपूर्ण निर्माण कार्य पर ` 74.09 लाख के अनियमित भुगतान के साथ साथ लंबित वसूली ` 12.48 लाख। का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 2: ` 35174 की रायल्टी की कटौती न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता की माह मार्च 2020 की रोकड़ बही व वाउचर की जांच में पाया गया कि वाउचर संख्या 87 (अनुबंध संख्या 210/A E IV दिनांक 06.03.2020, प्रथम एवं अंतिम देयक, धनराशि ` 4,59,424) में रायल्टी की गणना करने के पश्चात धनराशि `35174/ की कटौती नहीं की गयी थी न ही रॉयल्टी के प्रपत्र Form J व MM 11 भी संलग्न थे।जबकि न्यास निधि की कटौती धनराशि ` 8794 (रायल्टी का 25 प्रतिशत) की गयी थी।

उक्त प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि त्रुटि पूर्वक कटौती नही की गयी, अगले देयक से कटौती कर ली जाएगी। इकाई के उत्तर से स्वतः आपत्ति की पुष्टि होती है साथ ही यह भी इंगित करना है कि उक्त वाउचर कार्य का अंतिम देयक था।

अतः ` 35174 की रायल्टी की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 3:- बिना समायोजन के ही धनराशि को अभिलेखो से हटाने व धनराशि को अनाधिकृतरूप से बैंक में रखा जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता की माह मार्च 2020 की रोकड़ बही व वाउचर की जांच में पाया गया कि तीन temporary Imprest वाउचर संख्या 218, 219 व 222 में रोकड़ बही में इंगित धनराशि से कम के वाउचर संलग्न थे जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र सं	वाउचर संख्या	रोकड़ बही में इंगित धनराशि	संलग्न वाउचर की धनराशि	जिनके वाउचर उपलब्ध नही थे उनकी धनराशि
1	218	1403352	1389436	13916
2	219	722440	502554	219886
3	222	4818249	4720260	97989
योग		**6944041**	**6612250**	**331791**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि रोकड़ बही में इंगित धनराशि से ` 3.32 लाख के वाउचर कम पाये गए। आगे रोकड़ बही के जांच में पाया गया कि उक्त इंगित धनराशि में से ` 233802 श्री एस एस बिष्ट, सहायक अभियन्ता एवं ` 97989 श्री एस एस नेगी, सहायक अभियन्ता के नाम विविध अग्रिम दर्शाया गया था जबकि विविध अग्रिम पंजिका में उक्त अधिकारियों के नाम पर कोई अग्रिम नही थे।

प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि IFMS software के माध्यम से online payment की प्रक्रिया शुरू होने से उक्त वाउचरो का पूर्ण भुगतान होने पर IFMS में पूर्ण व्यय प्रदर्शित हुआ जिसके वजह से मुआवजे का पूर्ण भुगतान खण्ड के लेखे में दर्शना पड़ा जबकि मुआवजे का भुगतान शेष था। अवशेष धनराशि बैंक में संबन्धित सहायक अभियन्ता के चालू खाते में है व उक्त का समायोजन इस वर्ष किया जा रहा है। इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना समायोजन के ही उक्त धनराशि को इकाई के अभिलेखो से हटा दिया गया साथ ही धनराशि को अनाधिकृतरूप से बैंक में रखा गया।

अतः बिना समायोजन के ही धनराशि को अभिलेखो से हटाने व धनराशि को अनाधिकृतरूप से बैंक में रखे जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/ वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग दो – अ	भाग दो – ब
1	44/1992-93	1	-
2	26/2000-01	-	1,2,3
3	33/2001-02	1	2
4	22/2002-03	1,2,3	4,5,6
5	14/2004-05	1	1,2
6	125/2005-06	1	1,2
7	20/2006-07	1	1
8	49/2007-08	1,2	1
9	37/2010-11	1	**-**
10	32/2012-13	-	1,3
11	79/2015-16	-	1(**अ)**,1(**ब)**,2
12	10/2018-19	-	1,2,3
13	31/2019-20	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			विगत लेखापरीक्षा की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए: शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री वी.डी. भट्ट	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से 31/10/2020 तक।
(ii)	श्री डी.पी. सिंह	अधिशासी अभियन्ता	01/11/2020 से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	एफ.सी.शर्मा	व. खण्डीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार एएमजी-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
एएमजी-II(NonPSU)